नवाचार से बदलता ग्रामीण भारत

डॉ. निमिष कपूर

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था तेज़ी से बदलाव के दौर से गुज़र रही है। ग्रामीण उद्यमिता अब पारम्परिक कृषि और घरेलू उत्पादन से आगे बढ़कर खाद्य प्रसंस्करण, एग्री-टेक, हस्तशिल्प, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल सेवाओं और स्थानीय उद्यमों में नए अवसर तलाश रही है। सरकारी योजनाओं, सामुदायिक संस्थाओं, इन्क्यूबेशन केंद्रों, ऋण सुविधाओं और डिजिटल बाज़ारों के सहयोग से यह बदलाव आजीविका के विविधीकरण, रोज़गार सृजन और स्थानीय स्तर पर मूल्यवर्धन को बढ़ावा दे रहा है। मज़बूत ग्रामीण उद्यम एवं नवाचार तंत्र विकसित भारत@2047 के संकल्प को गति दें सकता है।

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक महत्त्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रही है। ग्रामीण उद्यमिता अब पारम्परिक कृषि और घरेलू उत्पादन के दायरे से आगे बढ़ रही है। खाद्य प्रसंस्करण, कृषि प्रौद्योगिकी, हस्तशिल्प, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल सेवाओं और अन्य स्थानीय उद्यमों में नए अवसर उभर रहे हैं।

इस बदलाव को सरकारी कार्यक्रमों, सामुदायिक संस्थाओं, उद्यम संवर्धन केंद्रों, ऋण सुविधाओं और डिजिटल बाज़ारों से बल मिल रहा है। इसका उद्देश्य केवल नए उद्यम स्थापित करना ही नहीं बल्कि आजीविका के साधनों में विविधता लाना, रोज़गार सृजित करना और उत्पादन के स्रोत के निकट ही मूल्य सृजन को बढ़ावा देना भी है।

इस प्रकार, उभरता ग्रामीण उद्यमिता और नवाचार का पारितंत्र, विकसित भारत @2047 की परिकल्पना का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नए विचार, कौशल, वित्तीय संसाधन और प्रौद्योगिकी ग्रामीण समुदायों तक कितने प्रभावी ढंग से पहुँच पाते हैं।

ग्रामीण नवाचारः स्थानीय समस्याओं से स्थानीय समाधान तक

ग्रामीण नवाचार की शुरुआत प्रायः किसी व्यावहारिक समस्या से होती है। इसके अंतर्गत खेती की लागत घटाना, जल संरक्षण करना, स्थानीय उपज का प्रसंस्करण करना, बाज़ार तक पहुँच बेहतर बनाना अथवा किसानों, कारीगरों और

लेखक वैज्ञानिक और विज्ञान संचारक हैं तथा इस क्षेत्र में उनका व्यापक अनुभव है। ईमेलः nimish2047@gmail.com

महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए उपयोगी सेवाएँ विकसित करना शामिल हो सकता है। ग्रामीण नवाचार केवल तकनीक-आधारित औपचारिक स्टार्टअप तक सीमित नहीं है। किसान, कारीगर, सहकारी संस्थाएँ, विश्वविद्यालय और स्थानीय उद्यमी प्रायः पारम्परिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़कर ऐसे समाधान विकसित करते हैं, जो कम लागत वाले हों, जिनकी आसानी से मरम्मत की जा सके और जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हों।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) निधि–प्रयास जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से इस प्रक्रिया को सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम नवप्रवर्तकों को अपने विचारों को कार्यशील प्रोटोटाइप में बदलने में मदद करता है। वर्ष 2025–26 तक यह कार्यक्रम 46 केंद्रों के माध्यम से लागू किया जा रहा था। इसके अंतर्गत कुल 2,408 नवप्रवर्तकों को सहायता दी गई, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 1,790 प्रोटोटाइप तैयार हुए, 900 से अधिक पेटेंट आवेदन दाखिल किए गए, करीब 975 करोड़ रुपये की राशि(फन्डिंग) जुटाई गई और 8,800 से अधिक रोज़गार के अवसर सृजित हुए।

डीएसटी के 'समता, सशक्तीकरण और विकास के लिए विज्ञान (सीड)' कार्यक्रम के अंतर्गत चलाई जा रही पहलें समुदाय की आवश्यकताओं को केंद्र में रखती हैं। आजीविका के लिए नवाचारों का सुदृढ़ीकरण, विस्तार और संवर्धन (सुनील) कार्यक्रम आर्थिक रूप से कमज़ोर समुदायों के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रौद्योगिकियों, कौशल विकास और सामाजिक उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देता है। वर्ष 2024–25 के दौरान सुनील की 25 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई, जिनमें आठ नई परियोजनाएँ शामिल थीं। यह कार्यक्रम सहभागिता पर आधारित है जिसमें ज्ञान संस्थान, गैर-सरकारी संगठन, स्थानीय शासन संस्थाएँ और सामुदायिक संगठन मिलकर काम करते हैं।

डीएसटी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित उपायों के माध्यम से स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (एसटीआई) के 20 केंद्र भी स्थापित किए हैं। इनमें 13 केंद्र अनुसूचित जाति समुदायों और सात केंद्र अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन (एनआईएफ) जमीनी स्तर के नवाचारों की पहचान करने और उन्हें विकसित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 2000 से अब तक एनआईएफ ने 730 से अधिक ज़िलों से प्राप्त 3.75 लाख से अधिक तकनीकी विचारों, नवाचारों और पारम्परिक ज्ञान-पद्धतियों का दस्तावेज़ीकरण किया है। इसने ज़मीनी स्तर के नवप्रवर्तकों और स्कूली विद्यार्थियों सहित कुल 1,145 प्रतिभाओं को मान्यता दी है, 1,478 से अधिक पेटेंट आवेदन दाखिल किए हैं और प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग के 120 मामलों में सहयोग प्रदान किया है। ऐसे प्रयास, ज़मीनी ज्ञान से उपजे स्थानीय विचारों को वैज्ञानिक कसौटी पर परखी गई प्रौद्योगिकियों और उद्यमों का रूप देने तथा समाज में उनके व्यापक उपयोग का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

अन्य कार्यक्रम नवाचार और उद्यम के बीच सेतु का काम करते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) की उप-योजना के रूप में संचालित स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, परामर्श और समुदाय-आधारित सहयोग के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को गैर-कृषि उद्यम स्थापित करने तथा उनका विस्तार करने में मदद करता है। जून 2026 तक एसवीईपी देशभर में 4.32 लाख ग्रामीण उद्यमों को सहायता प्रदान कर चुका था।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता प्रोत्साहन योजना (एस्पायर) भी ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम संवर्धन केंद्रों का विस्तार कर रही है। जून 2026 तक 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 109 आजीविका व्यवसाय संवर्धन केंद्रों को स्वीकृति दी जा चुकी थी। इन केंद्रों ने 1.23 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया था और वर्ष 2022–23 में नियमित निगरानी शुरू होने के बाद से 1,200 से अधिक सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में सहयोग किया था।

ग्रामीण उद्यमिता का उभरता परिदृश्य

ग्रामीण उद्यमिता अब पारम्परिक खेती या कुटीर उद्योगों तक सीमित नहीं रही है। इसका दायरा खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, हस्तशिल्प, कृषि सेवाओं, नवीकरणीय ऊर्जा, परिवहन एवं आपूर्ति व्यवस्था और डिजिटल सेवाओं तक फैल रहा है। इनमें से अनेक उद्यम स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं और आसपास के बाज़ार की जरूरतों के अनुरूप वस्तुएँ एवं सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं।

ग्रामीण उद्यमों और स्टार्टअप के बीच अंतर को समझना महत्त्वपूर्ण है। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) जैसी योजनाएँ मुख्यतः ग्रामीण परिवारों, स्वयं सहायता समूहों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित छोटे गैर-कृषि उद्यमों को सहायता प्रदान करती हैं। एसवीईपी, दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) की एक उप-योजना है। ये उद्यम अनिवार्य रूप से प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप नहीं होते। फिर भी, इनमें से कुछ नवाचार और डिजिटल साधनों को अपनाकर बड़े उद्यमों के रूप में विकसित हो सकते हैं।

इस बदलाव का व्यापक स्वरूप हाल के सरकारी आँकड़ों में स्पष्ट दिखाई देता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 25 जुलाई, 2026 को जारी एक पृष्ठभूमि विवरण के अनुसार, स्टार्टअप

ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) ने 30 जून, 2026 तक देशभर के 4.32 लाख ग्रामीण उद्यमों को सहायता प्रदान की थी। इनमें लगभग 86 प्रतिशत उद्यमी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों से थे।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (पीएमएफएमई) के अंतर्गत दिसंबर 2025 तक 59,202 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक क्षेत्र से जोड़ा गया था और 17,015.8 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया गया था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अनुसार, जुलाई 2026 तक योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृतियों की संख्या दो लाख का आँकड़ा पार कर चुकी थी। इसके लगभग 90 प्रतिशत लाभार्थी पहली पीढ़ी के उद्यमी थे और कुल लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 44 प्रतिशत थी।

ये रुझान बताते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अब कृषि उपज को सीधे बेचने तक सीमित न रहकर, स्थानीय स्तर पर उसके प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन तथा सेवा-आधारित व्यवसायों की ओर धीरे-धीरे बढ़ रही है। इससे ग्रामीण परिवारों के लिए आय के अतिरिक्त साधन पैदा हो सकते हैं और आजीविका के किसी एक स्रोत पर उनकी निर्भरता कम हो सकती है। अब आवश्यकता ऐसे उद्यमों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, उन्हें बेहतर बाज़ारों से जोड़ने और चरणबद्ध ढंग से नई प्रौद्योगिकी अपनाने में सक्षम बनाने की है।

रोज़गार और आजीविका में उद्यमों की भूमिका

ग्रामीण उद्यमों में नवाचार पर केंद्रित कुछ स्टार्टअप भी शामिल हैं। ये रोज़गार के अवसर पैदा करने, आय के स्रोत बढ़ाने और स्थानीय मूल्य शृंखलाओं को मज़बूत बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इनका लाभ केवल उद्यमी तक सीमित नहीं रहता बल्कि किसानों, कारीगरों, श्रमिकों, आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं तक भी पहुँचता है।

इस संबंध में स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) के परिणाम उपयोगी प्रमाण उपलब्ध कराते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उद्धृत भारतीय गुणवत्ता परिषद के एक मूल्यांकन के अनुसार, एसवीईपी से सहायता प्राप्त जिन उद्यमों का मूल्यांकन किया गया, उनमें से 99 प्रतिशत लाभ में चल रहे थे। लाभार्थी परिवारों की कुल आय में इन उद्यमों का योगदान लगभग 57 प्रतिशत था और उनका औसत मासिक राजस्व करीब 39,000 रुपये था। मूल्यांकन में यह भी पाया गया कि 75 प्रतिशत उद्यमों का स्वामित्व या प्रबंधन महिलाओं के हाथों में था। हालाँकि, ये आँकड़े मूल्यांकन में शामिल उद्यमों और उसकी निर्धारित अवधि से संबंधित हैं; इन्हें कार्यक्रम के वर्तमान राष्ट्रव्यापी परिणामों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

यह कार्यक्रम समुदाय-आधारित सहायता के महत्त्व को भी दर्शाता है। इसके अंतर्गत उद्यमियों को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता दी जाती है। उद्यम संवर्धन के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (सीआरपी-ईपी) स्थानीय स्तर पर व्यवसाय की योजना बनाने, ऋण प्राप्त करने और बाज़ार से जुड़ने में उनकी सहायता करते हैं।

इस प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। उद्यमिता से महिलाओं को आय अर्जित करने और व्यवसाय चलाने का अनुभव मिलता है तथा परिवार से जुड़े आर्थिक निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ती है। हालाँकि आय, रोज़गार और पलायन पर इसके दीर्घकालिक प्रभावों को समझने के लिए अभी और अध्ययन की आवश्यकता है।

नीतिगत सहायता

भारत में ग्रामीण उद्यमिता तंत्र को कई मंत्रालयों की योजनाओं से सहायता मिलती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत संचालित एसवीईपी स्वयं सहायता समूहों और उनके परिवार के सदस्यों को गैर-कृषि उद्यम स्थापित करने तथा उनका विस्तार करने में सहायता देता है। इसमें वित्तीय सहायता के साथ प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और समुदाय स्तर पर व्यावसायिक सहयोग भी प्रदान किया जाता है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत 'एस्पायर' आजीविका व्यवसाय संवर्धन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देता है। नवीनतम आँकड़े बताते हैं कि उद्यम संवर्धन केंद्रों का यह नेटवर्क 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक फैल चुका है। ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) ग्रामीण युवाओं को उद्यमिता और कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। नाबार्ड भी स्वयं सहायता समूहों, उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यम विकास में सहायता करता है।

इस तंत्र में बाज़ार तक पहुँच का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। डिजिटल मंच, ई-कॉमर्स और ऑनलाइन बाज़ार ग्रामीण उद्यमों को अपने स्थानीय क्षेत्र से बाहर के ग्राहकों तक पहुँचने में सहायता कर सकते हैं। हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं तक पहुँच और डिजिटल क्षमताओं का स्तर अभी भी एक समान नहीं है। इससे एक व्यापक नीतिगत निष्कर्ष स्पष्ट होता है–केवल वित्तीय सहायता पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण उद्यमों को कौशल, मार्गदर्शन, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढाँचे और बाज़ारों तक विश्वसनीय पहुँच की भी आवश्यकता है।

कृषि तकनीक संवर्धन और राज्य स्तरीय नीतिगत ढाँचे

कृषि प्रौद्योगिकी भारत के ग्रामीण नवाचार तंत्र का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनती जा रही है। उद्यम संवर्धन केंद्र कृषि अनुसंधान और नए विचारों को किसानों के लिए उपयोगी उत्पादों और सेवाओं में बदलने में सहायता कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आरकेवीवाई-रफ्तार के अंतर्गत नवाचार एवं कृषि-उद्यमिता विकास कार्यक्रम कृषि स्टार्टअप को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2019–20 से 2024–25 के बीच आरकेवीवाई के अंतर्गत 1,943 कृषि स्टार्टअप को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी गई। सरकारी तथ्यपत्र में शामिल अवधि के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के 7,000 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हुए थे।

यह कार्यक्रम कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के संस्थानों और अन्य तकनीकी संस्थानों में स्थित ज्ञान साझेदार संस्थानों तथा आरकेवीवाई कृषि-व्यवसाय उद्यम संवर्धन केंद्रों के माध्यम से संचालित होता है। इसके अंतर्गत मार्गदर्शन, प्रौद्योगिकी विकास, व्यावसायिक योजना तैयार करने और बाज़ार से जुड़ने में सहायता दी जाती है।

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान में स्थापित मैनेज-सीआईए कृषि उद्यमों को उद्यम संवर्धन, मार्गदर्शन और प्रत्येक चरण में आवश्यक सहयोग प्रदान करता है। संस्था की वर्तमान जानकारी के अनुसार, 562 कृषि स्टार्टअप को उद्यम संवर्धन की सहायता दी गई है। इसके अतिरिक्त, वित्तपोषित उद्यमों और 1,100 से अधिक भावी कृषि-उद्यमियों को भी सहायता प्रदान की गई है। डीएसटी-निधि, अटल नवाचार मिशन और डीबीटी-बाइरैक जैसी अन्य राष्ट्रीय पहलें प्रौद्योगिकी-आधारित उद्यमिता के अवसरों का और विस्तार करती हैं।

राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ-साथ राज्य भी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप पहल कर रहे हैं। महाराष्ट्र की महा-एग्री एआई नीति 2025–2029 कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देती है। इस नीति के तहत एआई और कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही, कृषि से जुड़े आँकड़ों के बेहतर उपयोग और नए प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल सुविधाएँ विकसित की जाएँगी। नीति के पहले तीन वर्षों के लिए 500 करोड़ का प्रारंभिक आवंटन किया गया है।

इसी तरह, केरल में विश्व बैंक की सहायता से संचालित 'केरा परियोजना' जलवायु-सक्षम कृषि, मूल्य संवर्धन और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर केंद्रित है। इसके कृषि प्रौद्योगिकी घटक के माध्यम से उद्यम संवर्धन और प्रारंभिक अनुदान देकर अधिकतम 150 कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है।

महाराष्ट्र और केरल की ये पहलें बताती हैं कि ग्रामीण नवाचार को किसी एक तय मॉडल में नहीं ढाला जा सकता। प्रत्येक राज्य अपनी फसलों, जलवायु, संस्थागत व्यवस्था और बाज़ार की परिस्थितियों के अनुरूप समाधान तैयार कर सकता है, जबकि केंद्रीय कार्यक्रम वित्त, उद्यम संवर्धन और संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराते हैं। फिर भी, इन सभी प्रयासों की सफलता के केंद्र में किसान का होना आवश्यक है। इसलिए सबसे कारगर रास्ता किसान-केंद्रित नवाचार का है। जब स्टार्टअप किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और किसान समुदायों के साथ मिलकर समाधान विकसित करते हैं और उन्हें जमीनी स्तर पर परखते हैं तो किसानों के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना आसान हो जाता है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि प्रौद्योगिकी ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

केस स्टडी और सफलता की कहानियाँ

नीतिगत सहयोग की वास्तविक सार्थकता तभी दिखाई देती है, जब स्थानीय स्तर पर उपजे विचार ग्रामीण आय और रोज़गार बढ़ाने, नए उद्यम खड़े करने तथा समुदायों की आजीविका बेहतर बनाने में ठोस और मापनीय परिणाम देने लगते हैं।

स्वयं सहायता समूह की सदस्य से ग्रामीण उद्यमी तक: महाराष्ट्र की भाग्यश्री लोंढे वर्ष 2014 में एक स्वयं सहायता समूह से जुड़ीं और उन्होंने मसाले, पापड़ और अचार बनाना शुरू किया। उन्हें स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के तहत सामुदायिक उद्यम निधि से 45,000 रुपये का ऋण मिला। वर्ष

2019–20 में महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनी में उन्होंने केवल 10 दिनों में 5 लाख रुपये का कारोबार किया। उनकी सफलता बताती है कि वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और बाज़ार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने तथा ग्राहकों तक पहुँचने के अवसर मिलने पर एक छोटा ग्रामीण उद्यम भी तेज़ी से आगे बढ़ सकता है।

उद्यमी से समुदाय की मार्गदर्शक तक: उत्तर प्रदेश की पूनम ने एसवीईपी के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया और बाद में उद्यम संवर्धन के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य करने लगीं। इसके बाद उन्होंने व्यवसाय की योजना बनाने, ऋण प्राप्त करने में सहायता, बाज़ार से संपर्क स्थापित करने और मार्गदर्शन के माध्यम से लगभग 40 ग्रामीण उद्यमों को आगे बढ़ने में सहयोग दिया। उनकी यात्रा दर्शाती है कि समुदाय आधारित संस्थाएँ ग्रामीण उद्यमियों के लिए ऐसा सहयोग तंत्र विकसित कर सकती हैं, जिससे एक उद्यमी की सफलता दूसरे उद्यमियों के लिए भी आगे बढ़ने का आधार बनती है।

स्थानीय उत्पादकों से विशाल ग्रामीण उद्यम तक: अमूल का सहकारी मॉडल सामूहिक स्वामित्व की क्षमता का सशक्त उदाहरण है। वर्ष 2024–25 में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने 65,911 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया। इसके नेटवर्क में लगभग 18,600 ग्रामीण दुग्ध सहकारी समितियाँ और 36.4 लाख दुग्ध उत्पादक सदस्य शामिल थे।

इन उदाहरणों से एक साझा सीख सामने आती है– वित्तीय सहायता महत्त्वपूर्ण है, लेकिन केवल वही पर्याप्त नहीं है। प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, सामूहिक संस्थाओं का सहयोग और बाज़ार तक पहुँच भी उतनी ही आवश्यक है। जब ये सभी तत्व एक साथ जुड़ते हैं तो ग्रामीण उद्यम केवल व्यक्तिगत स्तर की आर्थिक गतिविधि तक सीमित न रहकर व्यापक स्तर पर मूल्य सृजन और आजीविका के नए अवसरों का आधार बन सकते हैं।

चुनौतियाँ और आगे की राह

नीतिगत सहायता का दायरा बढ़ने के बावजूद ग्रामीण उद्यमियों के सामने कई बड़ी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। कुछ छोटे उद्यमों के लिए औपचारिक ऋण प्राप्त करना अब भी कठिन है। अधिक कागज़ी प्रक्रिया, वित्तीय जानकारी की कमी और गिरवी रखने के लिए संपत्ति का अभाव बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने में बाधा बन सकता है। भंडारण, शीत-शृंखला, बिजली आपूर्ति और डिजिटल संपर्क की कमी भी कारोबार के विस्तार को प्रभावित करती है।

कौशल की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। मौजूदा कार्यक्रम उद्यमिता का प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन बदलते व्यावसायिक परिवेश में डिजिटल मार्केटिंग, वित्तीय प्रबंधन, ई-कॉमर्स और नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग से जुड़ी बेहतर क्षमताएँ आवश्यक हैं। ग्रामीण उद्यमों के लिए सही मार्गदर्शन तथा बाज़ार और व्यावसायिक संपर्कों तक बेहतर पहुँच भी ज़रूरी है। डिजिटल संपर्क के माध्यम से बाज़ारों, ज्ञान और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच बढ़ाई जा सकती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता और गुणवत्ता अभी एक समान नहीं है। इसलिए डिजिटल सुविधाओं के विस्तार और डिजिटल कौशल में निवेश करना आवश्यक है।

इस क्षेत्र से जुड़े ठोस आँकड़े जुटाने और अध्ययन का दायरा बढ़ाने की भी ज़रूरत है। ग्रामीण उद्यमों और स्टार्टअप का रोज़गार, परिवारों की आय, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और पलायन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे समझने के लिए अधिक व्यवस्थित और दीर्घकालिक अध्ययन आवश्यक हैं। विश्वसनीय आँकड़े नीति निर्माताओं को सफल मॉडलों की पहचान करने और उन्हें प्रभावी ढंग से बड़े स्तर पर लागू करने में मदद कर सकते हैं।

विकसित भारत–रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी अधिनियम, 2025 जिसे संक्षेप में वीबी–जी-राम-जी अधिनियम कहा जाता है, ग्रामीण विकास की व्यवस्था को एक अतिरिक्त आधार देता है। यह अधिनियम 1 जुलाई, 2026 से लागू हुआ। इसके तहत ऐसे कामों में मजदूरी पर रोज़गार की कानूनी गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई, जिनके लिए किसी विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होती। यह ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन और आजीविका में सहायक साधनों के निर्माण को भी बढ़ावा देता है। उद्यमिता में इसका योगदान प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष है क्योंकि यह स्टार्टअप को सीधे सहायता नहीं देता। यह मजदूरी से होने वाली आय की सुरक्षा, उपयोगी ग्रामीण साधनों के निर्माण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विकास के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी बनाता है।

इस प्रकार, भारत का ग्रामीण नवाचार तंत्र अब अधिक उद्यम-आधारित विकास मॉडल की ओर बढ़ रहा है। अगले चरण में वित्त, कौशल, उद्यम संवर्धन, प्रौद्योगिकी और बाज़ार को आपस में जोड़ने पर ध्यान देना चाहिए। ज़िला स्तर पर मज़बूत सहायता व्यवस्था और स्टार्टअप, किसानों, अनुसंधान संस्थानों, सरकार तथा उद्योग के बीच बेहतर तालमेल से आशाजनक विचारों को व्यापक स्तर पर विस्तार देने में सहायता मिल सकती है।

ग्रामीण भारत केवल विकास का लाभार्थी नहीं है; वह स्वयं नवाचार, उद्यम और रोज़गार का स्रोत भी बन सकता है। इसलिए हमारा लक्ष्य हर नवाचार को स्टार्टअप के साँचे में ढालना नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर उपयोगी समाधानों की पहचान करना, उन्हें परखना, उन्हें वित्तीय सहायता देना और व्यापक स्तर पर लागू करना होना चाहिए। ग्रामीण भारत की इस क्षमता को सशक्त बनाना ही समावेशी, सुदृढ़ और समृद्ध विकसित भारत की मज़बूत आधारशिला बनेगा। ❑